



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-3051

दिनांक: 7/11/2022

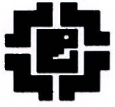
जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	मू.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	1 श्री शिवचरण चांवरिया 2 देवेन्द्र चांवरिया 3 रोहित दास चांवरिया	श्री नूर खॉ	डी-65	51.53 वर्ग गज	जविप्रा	झालाना फेज-III	नामहस्तान्तरण /पट्टा	रजिस्टर्ड मुख्तयारआमा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र,

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी-

6330

दिनांक:- 09.11.2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 206 रकबा 0.32 हैक्टे. की भूमि जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन हेतु अवाप्त की गयी है। अवाप्ताधीन भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने हेतु श्री रामसहाय, बाबूलाल, गोपाल लाल, सूरजमल पि. स्व. श्री कालूराम एवं शान्ति देवी, चौथी देवी, मनभर देवी पुत्रियां स्व. श्री कालूराम, श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय, संजय, दीपक, अनिल पि. स्व. श्री हनुमान सहाय, कमलेश पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी ग्राम मुण्डियारामसर, जयपुर द्वारा उक्त भूमि के 1/2 भाग की भूमि समर्पित कर विकसित भूमि दिये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 206 रकबा 0.32 हैक्टे. के मूल खातेदार सणगारी पत्नी काल्या, हनुमान सहाय, रामसहाय, रामगोपाल, सूरजमल, बाबूलाल पि. काल्या हि. 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। सणगारी पत्नी काल्या का स्वर्गवास दिनांक 16.07.2005 को हो जाने पर नगर निगम ग्रेटर वार्ड 65 के पार्षद द्वारा प्रमाणित सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार सणगारी देवी के वारिस हनुमान सहाय, रामसहाय, बाबूलाल, रामगोपाल, सूरजमल पि. स्व. श्री कालूराम एवं शान्ति देवी, चौथी देवी, मनभर देवी पुत्रियां स्व. श्री कालूराम है। हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री कालूराम का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2020 को हो जाने पर नगर निगम ग्रेटर वार्ड 65 के पार्षद द्वारा प्रमाणित सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार हनुमान सहाय के वारिस मूली देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय, संजय, दीपक, अनिल पि. स्व. श्री हनुमान सहाय, कमलेश पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय जाति बलाई है। उक्त वारिसान द्वारा दिनांक 01.11.2022 को प्रार्थना पत्र संलग्न शपथ पत्र, ईकरारनामा/घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र, पहचान पत्र एवं मृतको का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 206 रकबा 0.32 हैक्टे. की भूमि जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन हेतु अवाप्त की गयी भूमि के बदले हि. 1/2 भाग की विकसित भूमि का आरक्षण/आवंटन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में आरक्षण/आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

D:\data d drive\Babu Lal Sharma Machine Data\D Drive data\BABU 2\BABU 2\CPM.doc

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102174

दिनांक: 07/11/2022

लोक सूचना

श्री BHAWANI SHAHARANRAN KHUNTETA पुत्र श्री GANGA SHARAN KHUNTETA जाति MAHAJAN निवासी 1137, MISHRARAJA JI KA RASTA, CHANPOLE BAZAR, JAIPUR

श्री YOGESH KHUNTETA पुत्र श्री GANA SHARAN KHUNTETA जाति MAHAJAN निवासी 154, BHARTENDU NAGAR, KHATIPURA, BAORI

श्री RAM SHARAN KHUNTETA पुत्र श्री GANGA SHARAN KHUNTETA जाति MAHAJAN निवासी 1137, MISHRARAJA JI KA RASTA, CHANPOLE BAZAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	मदरागपुरा, जयपुर (जयपुर)	GANGA SHARAN	306/1, 306/2	1057.57	0.1058
कुल					0.1058

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम लागू के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-11-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3429

दिनांक 09-11-22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	का योजना नाम	विवरण
1.	बी-309	श्री कान सिंह पुत्र श्री रूपसिंह	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	एफ.एफ. -179	श्रीमती गीका देवी पत्नी श्री संतोष सिंह	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3.	एफ.एफ. -176	श्रीमती गीका देवी पत्नी श्री संतोष सिंह	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
4.	बी-152	श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री मनोज कुमार	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
5.	बी-261	श्रीमती अनीता सोनी पत्नी श्री हंसमुख सोनी	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
6.	बी-261	श्रीमती अनीता सोनी पत्नी श्री हंसमुख सोनी	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
7.	बी-207	श्री तेजाराम सौलकी पुत्र श्री प्रतापराम सौलकी	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3418

दिनांक 7.11.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की जोनल प्लान रोड/सेक्टर प्लान रोड से प्रभावित भूमि को समर्पित कर विकसित भूमि हेतु आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ग्राम/तहसील का नाम	खसरा नम्बर	आवेदक का नाम	विवरण
1.	ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू	1499, 1501, 1502, 1503, 6343/6643, 1503/6353, 1511	श्रीमती रेणु पत्नी श्री अशोक	सैक्टर प्लान की 100 फीट सेक्टर सड़क से प्रभावित भूमि के एवज में विकसित भूमि के आरक्षण/आवंटन हेतु आवेदन।
2.	ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू	548, 564, 565, 566, 567, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584/2250, 585/2251, 640/2237, 593, 598, 588, 589, 587, 592, 591, 590, 586	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री अशोक एवं श्रीमती रेणु पत्नी श्री अशोक	सैक्टर प्लान की 300 फीट सेक्टर सड़क से प्रभावित भूमि के एवज में विकसित भूमि के आरक्षण/आवंटन हेतु आवेदन।
3.	ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू	597, 598, 599, 600, 601, 602, 603	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री अशोक एवं श्रीमती रेणु पत्नी श्री अशोक	सैक्टर प्लान की 200 फीट सेक्टर सड़क से प्रभावित भूमि के एवज में विकसित भूमि के आरक्षण/आवंटन हेतु आवेदन।
4.	ग्राम प्रहलादपुरा तह. सांगानेर	269	श्रीमती रेणु पत्नी श्री अशोक	सैक्टर प्लान की 80 फीट सेक्टर सड़क से प्रभावित भूमि के एवज में विकसित भूमि के आरक्षण/आवंटन हेतु आवेदन।

उक्त भूमि का आवेदक के पक्ष में आरक्षण/आवंटन जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूमि का आरक्षण/आवंटन पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

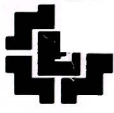
- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष :- Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ लविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती विमला देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री बनवारी लाल खण्डेलवाल	श्री हरिसिंह पुत्र श्री नाथू सिंह	बी-73	50.00		मुरलीपुरा	नाम हस्तान्तरण	रजि.मुखर्षस
2	श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा	मोइनुद्दीन खान पुत्र श्री मुनीर अहमद	बी-181	50.00		मुरलीपुरा	नाम हस्तान्तरण	मु.आम, रजि. विक्रय पत्र

जन सम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/22/डी-

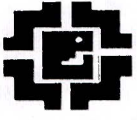
दिनांक 03.11.2022

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री संजय शर्मा एवं अजय कुमार शर्मा पुत्र अमीचन्द शर्मा	श्री अमीचन्द पुत्र श्री सोहन लाल	41	266.66 वर्गगज	श्री महावीर स्वामी गृ.नि. स.स.	गंगा विहार	लीजडीड हेतु	सहकारी समिति की सूची में नाम दर्ज करने हेतु। रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में मूल आवंटी का नाम अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

07.11.22
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-3801

दिनांक 09/11/2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाखी नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2022/डी- 1119

दिनांक:- 3/11/22

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.रा.	योजना का नाम	संवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मोनिका केडिया पत्नी श्री नितिन केडिया	श्रीमती मोनिका केडिया पत्नी श्री नितिन केडिया	एस-17 से एस-22	168	श्री गणपति	श्री गणेशम विहार	लॉजडीड हनु	समाप्तियों द्वारा जारी मूल आवेदन पत्र के आधार पर।
2	श्रीमती रितु केडिया पत्नी श्री निर्मल कुमार केडिया	श्रीमती रितु केडिया पत्नी श्री निर्मल कुमार केडिया	एस-62, एस-63, एस-67 से एस-70	169				
3	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री किशोरी लाल	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री किशोरी लाल	एस-1 से एस-7	212				
4	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री किशोरी लाल	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री किशोरी लाल	एस-8 से एस-11	112				
5	श्री हरपाल यादव पुत्र श्री केशर लाल यादव	श्री हरपाल यादव पुत्र श्री केशर लाल यादव	एस-12 से एस-16	139				
6	श्रीमती नीलम खण्डेलवाल पुत्री श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्रीमती नीलम खण्डेलवाल पुत्री श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	एस-30 से एस-35	168				
7	श्रीमती कृष्णा खण्डेलवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्रीमती कृष्णा खण्डेलवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	एस-36 से एस-40	148				
8	श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री भागीरथ यादव	श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री भागीरथ यादव	एस-41 से एस-43	108				
9	श्री गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्री गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	एस-59 से एस-61	126				
10	श्रीमती रितु केडिया पत्नी श्री निर्मल कुमार केडिया	श्रीमती रितु केडिया पत्नी श्री निर्मल कुमार केडिया	एस-82 से एस-87	175				
11	श्रीमती सरोज केडिया पत्नी श्री शिव कुमार केडिया	श्रीमती सरोज केडिया पत्नी श्री शिव कुमार केडिया	एस-88 से एस-93	182				
12	श्री शिव कुमार केडिया पुत्र स्व. श्री सुन्दरभल केडिया	श्री शिव कुमार केडिया पुत्र श्री सुन्दरभल केडिया	एस-94 से एस-99	175				
13	श्री शिव कुमार केडिया पुत्र स्व. श्री सुन्दरभल केडिया	श्री शिव कुमार केडिया पुत्र श्री सुन्दरभल केडिया	एस-101 से एस-104	112				

समाप्तियों द्वारा जारी मूल आवेदन पत्र के आधार पर।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

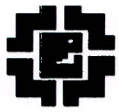
Scanned with CamScanner

14	श्री शिव कुमार कंडिया पुत्र स्व. श्री सुन्दरमल कंडिया	श्री शिव कुमार कंडिया पुत्र श्री सुन्दरमल कंडिया	एस-105	से	112					
15	श्री शिव कुमार कंडिया पुत्र स्व. श्री सुन्दरमल कंडिया	श्री शिव कुमार कंडिया पुत्र श्री सुन्दरमल कंडिया	एस-108	से	105					
16	श्री भार्गोत्थ मल यादव पुत्र श्री पेमाराम	श्री भार्गोत्थ यादव पुत्र श्री पेमाराम	एस-109	से	125					
17	श्री वीरबल यादव पुत्र श्री भार्गोत्थ मल यादव	श्री वीरबल यादव पुत्र श्री भार्गोत्थ यादव	एस-111	से	111					

उपायुक्त एवं जिला अधिकारी
प्रकारण-तत्पर (प्रधान)
राज्य शिक्षा विभाग, जयपुर
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जयपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के कम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं जिला अधिकारी
प्रकारण-तत्पर (प्रधान)
राज्य शिक्षा विभाग, जयपुर
जयपुर, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रितु पुत्री श्री ओ.पी. मित्तल	श्री सूर्यप्रकाश सैनी पुत्र श्री शंकरलाल सैनी	85	श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति	शान्ति विहार	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची एवं आवंटन पत्र में नाम की भिन्नता के कम में।
2	मोनिका पुत्री श्री विजय गोयल	श्री अरविन्द सैनी पुत्र श्री नन्हीलाल सैनी	68	श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति	शान्ति विहार	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची एवं आवंटन पत्र में नाम की भिन्नता के कम में।

उपस्थित जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 6349
दिनांक 09-11-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए ऑ.ला. 101431/2022/डी-2972

दिनांक 09/11/22

संशोधित लोक सूचना

खातेदार वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन पंजीकृत कार्यालय-22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर के द्वारा ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 375/1194 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 376 रकबा 0.91 हैक्ट. ख.नं. 377 रकबा 0.92 हैक्ट. ख.नं. 453 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 454 रकबा 1.51 हैक्ट. ख.नं. 416 रकबा 0.89 हैक्ट. ख.नं. 417 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 418 रकबा 0.99 हैक्ट. कुल 8 कुल रकबा 5.44 हैक्ट. भूमि की राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-11 के द्वारा आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास प्रोजेक्ट-3सी) प्रयोजनार्थ दिनांक 08.12.2021 को निर्णय पारित किया गया था, उक्त खसरा नम्बरान् का नामान्तरण जविप्रा के नाम दर्ज हो चुका है। खातेदार वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्री राम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर एवं कृष्ण मोहनी पत्नि भगवानप्रसाद भामगेन जाति- ब्राह्मण सा. प्लॉट न.86 रामनगर सोडाला, जयपुर, तुलसी देवी पत्नि ओ पी चौधरी जाति- जाट नि प्लॉट न सी 18 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर के द्वारा एक अन्य ऑनलाईन प्रकरण संख्या LU2012/JDA/2022-23/102202 Dated 7.11.2022 के द्वारा कुल रकबा 4.56 हैक्ट. भूमि की आवासीय प्रयोजनार्थ 90ए हेतु आवेदन किया गया है इस प्रकार नवीन पत्रावली एवं संशोधित 90ए किये जाने के पश्चात दोनों भूमियों का कुल क्षेत्रफल 10.00 हैक्टयर होता है, जिसमें आवासीय गतिविधि अनुज्ञेय है।

खातेदार द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास प्रोजेक्ट-3सी) के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए आदेश जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान-2025 में अनुसार U-2, HIZ में दर्शित है जिसमें आवासीय में अनुज्ञेय है।

अतः इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला तहसील सांगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय-22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर	ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 375/1194 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 376 रकबा 0.91 हैक्ट. ख.नं. 377 रकबा 0.92 हैक्ट. ख.नं. 453 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 454 रकबा 1.51 हैक्ट. ख. नं. 416 रकबा 0.89 हैक्ट. ख.नं. 417 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 418 रकबा 0.99 हैक्ट. कुल 8 कुल रकबा 5.44 हैक्ट.	
			कुल किता 08	कुल रकबा 5.44 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

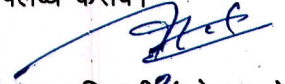
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09/11/22 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।



प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102202

दिनांक: 09/11/2022

लोक सूचना

कृष्ण मोहनी पत्नि भगवानप्रसाद भामगेन जाति- ब्राह्मण सा. प्लॉट न.86 रामनगर सोडाला, जयपुर, तुलसी देवी पत्नि ओ पी चौधरी जाति- जाट नि प्लॉट न सी 18 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर एवं वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्री राम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

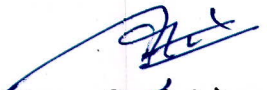
क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मुहाना सांगानेर (जयपुर)	कृष्ण मोहनी पत्नि भगवान प्रसाद भामगेन हिस्सा- 1/4 जाति- ब्राह्मण सा. प्लॉट न. 86 रामनगर सोडाला, जयपुर तुलसी देवी पत्नि ओ पी चौधरी हिस्सा- 1/4 जाति- जाट नि प्लॉट न सी 18 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर,। वी आर बी ड्रीम्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा- 1/2 जाति- पंजीकृत कार्यालय 30 श्री राम विहार विस्तार मान्यावास मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर	590	19400	1.94
2	मुहाना सांगानेर (जयपुर)	कृष्ण मोहनी पत्नि भगवान प्रसाद भामगेन हिस्सा- 1/2 जाति- ब्राह्मण सा. प्लॉट न. 86 रामनगर सोडाला, तुलसी देवी पत्नि ओ पी चौधरी हिस्सा- 1/2 जाति- जाट नि प्लॉट न सी 18 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर,	602	13900	रकबा 1.39 हैक्ट में से रकबा 0.94 हैक्ट.
3	महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला सांगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्री राम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जिला जयपुर	1472 / 375	16800	1.68
कुल					4.56

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **09-11-2022** को जारी की गयी।

DCU/1-297/
9/11/22


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक: LU2012/JDA/2022-23/102210

दिनांक: 09/11/2022

लोक सूचना

श्री महावीर चौधरी पुत्र श्री जुगल किशोर चौधरी जाति जाट निवासी- 28, हरे कृष्णा विलेज-2, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, मानसरोवर, जयपुर।

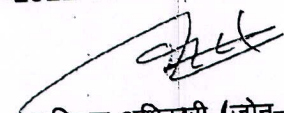
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	ग्राम मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	श्री महावीर चौधरी पुत्र श्री जुगल किशोर चौधरी जाति जाट निवासी- 28, हरे कृष्णा विलेज-2, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, मानसरोवर, जयपुर।	692 / 36	600	0.06
कुल					0.06

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09-11-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर